भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण
INSURANCE REGULATORY AND DEVELOPMENT AUTHORITY OF INDIA

संदर्भ: आईआरडीएआई/आरआई/जीडीएल/विविध/02/ 2024 20 फरवरी, 2024
Ref: IRDAI/RI/GDL/Misc./02/2024 20 February, 2024

विषय: सीमापार पुनर्बीमाकर्ताओं (सीबीआरएस) के पास पुनर्बीमा व्यवसाय का स्थानन करने के लिए संपार्श्विक पुनर्बीमा लेनदेनों संबंधी दिशानिर्देश
Re: Guidelines on Collateralized reinsurance transactions for placement of reinsurance business with Cross Border Reinsurers (CBRs)

1. पृष्ठभूमि / Background:

बीमा व्यवसाय में पूँजी प्रबंध बीमाकर्ताओं / अध्यर्पकों के लिए एक वृद्धिशील महत्वपूर्ण क्षेत्र है, क्योंकि वे अपने शोधन-क्षमता तुलन-पत्रों को इष्टतम बनाने के लिए अपने जोखिमों और संबंधित पूँजीगत अपेक्षाओँ का प्रबंध करने के लिए उपाय ढूँढ़ने का प्रयास करते हैं।
In insurance business, capital management is an increasingly important area for insurers / cedants, as they look to find ways to manage their risks and related capital requirements to optimise their solvency balance sheets.

पुनर्बीमा को बीमाकर्ताओं / अध्यर्पकों के लिए उपलब्ध एक मुख्य पूँजी प्रबंध साधन के रूप में देखा जा सकता है, जो जोखिम प्रबंध में भी एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है, जो उन्हें अपने जोखिम का एक अंश अन्य बीमाकर्ताओं / पुनर्बीमाकर्ताओं को अंतरित करने की अनुमति देता है।
Reinsurance may be observed as one of the key capital management tools available to the insurers/cedants, which also plays a vital role in risk management, allowing them to transfer a portion of their risk to other insurers/reinsurers.

विश्व भर में विभिन्न अधिकार-क्षेत्रों में कई पुनर्बीमा लेनदेनों का समर्थन पुनर्बीमाकर्ताओं के संबंध में प्रतिपक्षी चूक जोखिम को कम करने के लिए संपार्श्विकों के द्वारा किया जाता है। पुनर्बीमा लेनदेनों का समर्थन करने के लिए अपेक्षित संपार्श्विक की राशि पुनर्बीमा के प्रकार और पुनर्बीमाकर्ता की ऋण-पात्रता पर निर्भर है।
In various jurisdictions around the world, many reinsurance transactions are backed by collaterals to mitigate counterparty default risk in respect of the reinsurers. The amount of collateral required to back reinsurance transactions depends on the type of reinsurance and the reinsurer's creditworthiness.

यह ध्यान देने योग्य बात है कि संपार्श्विकों की अपेक्षाओं की प्रथा न केवल पालिसीधारकों और बीमाकर्ताओं के हितों का संरक्षण करती है, बल्कि एक स्वस्थ और सुदृढ़ बीमा पारिस्थितिक तंत्र (ईकोसिस्टम) को बढ़ावा देने के लिए पुनर्बीमाकर्ताओं को आकर्षित करते हुए बाजार में विश्वास को भी विकसित करती है।
It is important to note that the practice of collaterals requirements not only protects the interest of the policyholders and insurers but also fosters confidence in the market, attracting reinsurers for promoting a healthy and robust insurance ecosystem.

2. उपर्युक्त की पृष्ठभूमि में प्राधिकरण भारतीय बीमा उद्योग के अंदर, विशिष्ट रूप से सीमापार पुनर्बीमाकर्ताओं (सीबीआरएस) के साथ पुनर्बीमा लेनदेन के लिए संपार्श्विकों को प्रारंभ करने पर सक्रिय रूप से विचार कर रहा है।
In the backdrop of the above, the Authority is actively considering introduction of collaterals within the Indian insurance industry, specifically for reinsurance transaction with Cross Border Reinsurers (CBRs).

इस संबंध में प्रस्तावित दिशानिर्देशों का एक एक्सपोज़र प्रारूप **अनुबंध-क** के रूप में बीमाकर्ताओं / पुनर्बीमाकर्ताओं / हितधारकों से टिप्पणियों के लिए संलग्न है।
An exposure Draft of proposed Guidelines in this regard is attached in **Annexure - A** for the comments from the Insurers / Re-insurers / Stakeholders.

उक्त प्रतिसूचना (फीडबैक) / टिप्पणियाँ / सुझाव विनिर्दिष्ट फार्मेट अर्थात् **अनुबंध-ख** में ई-मेल से आईआरडीएआई वेबसाइट में इसके प्रकाशन की तारीख से 15 दिन की अवधि के अंदर gautam.kumar@irdai.gov.in को भेजे जा सकते हैं तथा उनकी एक प्रति reinsurance@irdai.gov.in को प्रेषित किये जा सकते हैं।
The feedback / comments / suggestions may be sent on e-mail gautam.kumar@irdai.gov.in with a copy to reinsurance@irdai.gov.in in the specified format i.e. **Annexure - B** , within a period of 15 days from the date of its publication in the IRDAI website.

(महाप्रबंधक / General Manager)
(पुनर्बीमा / Re-insurance)